



राज० नं० एल. डब्लू./एन. पी. 561

लाइसेंस नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेंस टू पोस्ट एंड कन्सिशनल एंड

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 10 अप्रैल, 1989  
चैत्र 20, 1911 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
विधायी अनुभाग-1

संख्या 698/सत्रह-वि-1-1 (क) 18-1989  
लखनऊ, 10 अप्रैल, 1989

अधिसूचना  
द्विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित न्यायालय फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 पर दिनांक 8 अप्रैल, 1989 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1989 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनाएँ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

न्यायालय फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1989  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1989)

[जिसका उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिये,

अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम न्यायालय फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1989  
रद्द जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस  
निमित्त नियत करे।

संक्षिप्त नाम,  
विस्तार और  
प्रारम्भ

अधिनियम संख्या  
7 सन् 1870 की  
अनुसूची 2 का  
संशोधन

2--न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की अनुसूची 2 में, जैसा कि उसे उत्तर प्रदेश में इसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधित किया गया है, अनुच्छेद 1 (अवेदन या अर्जी) में, खंड (ब) में--

(क) उपखंड (1) में, शब्द "पाँच रुपये" के स्थान पर शब्द "एक सौ रुपये" रख दिये जायेंगे, और

(ख) उप खंड (2) में, शब्द "दस रुपये" के स्थान पर शब्द "दो सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,  
नारायण दास,  
सचिव।

No. 698(2)/XVII-V-I-1(K.A.)-18-1989

Dated Lucknow, April 10, 1989

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Nyayalaya Fees (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhinyam, 1989 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhaya 14 of 1989) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 8, 1989.

THE COURT FEES (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1989

(U. P. Act No. 14 of 1989)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN  
ACT

further to amend the Court-Fees Act, 1870, in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Fortieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent  
and commence-  
ment

1. (1) This Act may be called the Court-Fees (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1989.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

Amendment of  
Schedule II of  
Act No. 7 of  
1870

2. In Schedule II to the Court-Fees Act, 1870, as amended in its application to Uttar Pradesh, in Article 1 (Application or petition), in clause (f),—

(a) in sub-clause (i), for the words "Five rupees" the words "One hundred rupees" shall be substituted; and

(b) in sub-clause (ii), for the words "Ten rupees" the words "Two hundred rupees" shall be substituted.

By order,  
NARAYAN DAS,  
Sachiv.